फर्द अहकाम

रामजीवन बनाम श्रीकिशन

न्यायालय

संख्या 261/2013

दावा

दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
	प्रतिवादी स्वत: बन्द लगानी अधोजी। वास्ते साक्ष्य प्रतिवादी दि० 29/7/19 को पेश हो। सहायक कलक्टर (कोर्ट नं०) ...	
29/7/19	वकील पक्षकारान उप०। वकील प्रतिवादी को साक्ष्य हेतु पूर्व में अवसर दिए जा चुके हैं। साक्ष्य प्रतिवादी बन्द की जाती है। पत्रावली वास्ते बहस दि० 13/8/19 को पेश हो। सहायक कलक्टर (कोर्ट नं०) ...	
13/8/19	वकील पक्षकारान उप०। वकील पक्षकारान ने बहस करना जाहिर किया। वकील पक्षकारान की बहस सुनी गई। पत्रावली वास्ते आदेश दि० 19/8/19 को पेश हो। सहायक कलक्टर (कोर्ट नं०) ...	
19/8/19	वकील पक्षकारान उप०। पत्रावली आज आदेश हेतु नियत थी। आदेश सुनाया गया। वादी का वाद डिक्री किया जाता है। विस्तृत निर्णय पृथक से लिखा जा रहा। आज्ञाकि० पत्रावली किया गया। परवाना डिक्री जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। सहायक कलक्टर (कोर्ट नं०) ...	

न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) जिला जयपुर (राज0)

पीठासीन अधिकारी– श्री राजेन्द्र सिंह शेखावत आर.ए.एस.

राजस्व वाद संख्या : 190/2011 पुनः दर्ज 261/2013

रज्जु दिनांक : 28/06/2011 व 06/09/2013

निर्णय दिनांक : 17/08/2019

1. रामजीवण पुत्र गंगाराम, जाति जाट, निवासी कडवो का बास, तहसील मौजमाबाद, जिला जयपुर, राज0।
2. रामचन्द्र पुत्र काना, जाति जाट, निवासी कडवो का बास, तहसील मौजमाबाद, जिला जयपुर, राज0।
3. रामकरण पुत्र रामदेव, जाति जाट, निवासी कडवो का बास, तहसील मौजमाबाद, जिला जयपुर, राज0।
4. भंवरलाल पुत्र रामजीवण, जाति जाट, निवासी कडवो का बास, तहसील मौजमाबाद, जिला जयपुर, राज0।

-- वादीगण

बनाम

1. श्रीकिशन पुत्र गंगाराम, जाति जाट, निवासी कडवो का बास, तहसील मौजमाबाद, जिला जयपुर, राज0।
2. जवाहरलाल पुत्र रामजीवण, जाति जाट, निवासी कडवो का बास, तहसील मौजमाबाद, जिला जयपुर, राज0।
3. तेजकरण पुत्र रामजीवण, जाति जाट, निवासी कडवो का बास, तहसील मौजमाबाद, जिला जयपुर, राज0।
4. गीगाराम पुत्र अमराराम, जाति जाट, निवासी कडवो का बास, तहसील मौजमाबाद, जिला जयपुर, राज0।
5. रामकरण पुत्र जगन्नाथ, जाति जाट, निवासी कडवो का बास, तहसील मौजमाबाद, जिला जयपुर, राज0।
6. सुवालाल पुत्र अमराराम, जाति जाट, निवासी कडवो का बास, तहसील मौजमाबाद, जिला जयपुर, राज0 (नाम हजफ किया गया)
7. सुरजकरण पुत्र छोटु, जाति जाट, निवासी कडवो का बास, तहसील मौजमाबाद, जिला जयपुर, राज0। (नाम हजफ किया गया)

सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रेक) दूदू

Scanned by CamScanner

8. रामनारायण पुत्र छोटु, जाति जाट, निवासी कडवो का बास, तहसील मौजमाबाद, जिला जयपुर, राज0।

9. रामचन्द्र पुत्र अमराराम, जाति जाट, निवासी कडवो का बास, तहसील मौजमाबाद, जिला जयपुर, राज0। (नाम हजफ किया गया)

10. गोपाल पुत्र गंगाराम, जाति जाट, निवासी कडवो का बास, तहसील मौजमाबाद, जिला जयपुर, राज0।

11. गोपाल पुत्र रामकरण जाति जाट, निवासी कडवो का बास, तहसील मौजमाबाद, जिला जयपुर, राज0। (नाम हजफ किया गया)

12. सुरजकरण पुत्र रामदेव जाति जाट, निवासी कडवो का बास, तहसील मौजमाबाद, जिला जयपुर, राज0।

13. हरजी पुत्र पांचू, जाति जाट, निवासी कडवो का बास, तहसील मौजमाबाद, जिला जयपुर, राज0।

14. शिवजीराम पुत्र भूरा, जाति जाट, निवासी कडवो का बास, तहसील मौजमाबाद, जिला जयपुर, राज0।

15. भंवरलाल पुत्र गोपी, जाति जाट, निवासी कडवो का बास, तहसील मौजमाबाद, जिला जयपुर, राज0।

--प्रतिवादीगण

वाद पत्र बाबत बेदखल

अन्तर्गत धारा 183 रा0टी0ए0

उपस्थिति – श्री पन्नालाल चौधरी
विद्वान अधिवक्ता वादीगण

श्री के.के. लखेरा
विद्वान अधिवक्ता प्रतिवादीगण सं. 1 ल. 15

निर्णय

दिनांक : 19/02/2019

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि वादीगण ने एक वाद विरूद्ध प्रतिवादीगण बाबत बेदखल अन्तर्गत धारा 183 रा0टी0ए0 इस आशय का पेश किया कि आराजी खसरा नम्बर 865 रकबा 7.64 हैक्टेयर वाके ग्राम कडवो का बास, तहसील मौजमाबाद, जिला जयपुर में स्थित है, जो वादीगण की संयुक्त कब्जे काश्त व खातेदारी की भूमि है, जिस पर वादीगण काबिज रहकर काश्त करते आ रहे है तथा लगान सरकारी जमा कराते आ रहे हैं। विवादित आराजी से प्रतिवादीगण का

सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रेक) दूदू

Scanned by CamScanner

किसी भी प्रकार से कोई सम्बन्ध व सरोकार नही है लेकिन प्रतिवादीगण ने एक विरुद्ध सामान्तर (रोड गाडोता से मौजमाबाद) पर प्रतिवादी संख्या 1 से 3 ने मकानो का निर्माण कर तथा प्रतिवादी संख्या 1 से 3 के मकानों का विस्तार कर तथा प्रतिवादी संख्या 4 से 14 ने बाडे बनाकर तथा प्रतिवादी संख्या 15 ने विवादित आराजी के उत्तरी पूर्वी कोने पर बाडा बनाकर अतिक्रमण कर लिया है, जिसका विरोध वादीगण ने किया तो प्रतिवादीगण संख्या 1 से 15 ने वादीगण को कहा कि तुम्हारी आराजी पर कोई अतिक्रमण नही किया है, सरकारी जमीन है और अगर विवादित आराजी में अतिक्रमण होगा तो हम सन्तुष्ट होने पर अतिक्रमण हटा लेंगे प्रतिवादीगण के आश्वासन पर वादीगण ने विरुद्ध प्रतिवादीगण कोई कार्यवाही नही की। वादीगण ने सन् 2010 में विवादित आराजी का तहसीलदार मौजमाबाद से सीमाज्ञान का आदेश लेकर सीमाज्ञान करवायाजिसका विरोध प्रतिवादीगण ने किया व सीमाज्ञान सैटलमेन्ट विभाग से करवाने को वादीगण से कहा इस पर वादीगण ने भू प्रबन्ध अधिकारी जयपुर के कार्यवाही की, जिस पर भू प्रबन्ध अधिकारी ने विवादित आराजी का सीमाज्ञान करने हेतु आदेश प्रदान किया। आदेशानुसार भू प्रबन्ध टीम ने दिनांक 23 व 24/05/2011 को विवादित आराजी का सीमाज्ञान किया जिसकी फर्द मौका सीमाज्ञान व नजरी नक्शा सीमाज्ञान तैयार किया। वरवक्त मौका निरीक्षण प्रतिवादीगण भी मौके पर उपस्थित थे, जिनको भू प्रबन्धक टीम ने समझाया कि विवादित आराजी से पश्चिमी दिशा सडक के समान्तर (गाडोता से मौजमाबाद) पर तुम्हारे मकान व बाडे बने हुये है तथा उत्तरी पूर्वी कोने पर बना हुआ बाडा भी विवादित आराजीयात में हैं। भू प्रबन्ध टीम द्वारा विवादित आराजी का फर्द मौका सीमाज्ञान व नजरी नक्शा सीमाज्ञान तैयार किया है, उसमें प्रतिवादीगण द्वारा किये गये अतिक्रमण को लाल स्याही से दर्शायी गयी है, जिसको हटाया जाना आवश्यक हैं। दिनाक 23 व 24/05/2011 को भू प्रबन्ध विभाग जयपुर द्वारा सीमाज्ञान करने के बाद दिनांक 05/06/2011 को वादीगण ने प्रतिवादीगण को विवादित आराजी में अतिक्रमण कर बनाये गये पुख्ता मकान व बाडो को हटाने को कहा तो प्रतिवादीगण अतिक्रमण हटाने से इन्कार हो गये तथा झगडा फसाद करने पर आमादा हो गये, इसलिये यह वाद विरूद्ध प्रतिवादीगण प्रस्तुत करना आवश्यक हुआ हैं।

वादीगण ने वाद के अन्य बिन्दूओं के साथ-साथ वाद कारण अंकित करते हुए दादरसी चाही है कि दावा बहक वादीगण विरूद्ध प्रतिवादीगण डिक्री फरमाया जाकर आराजी खसरा नम्बर 865 रकबा 7.64 हैक्टेयर वाके ग्राम कडवो का

सहायक कलक्टर
(कास्ट ट्रेक) दूदू

Scanned by CamScanner

बास, तहसील मौजमाबाद जिला जयपुर में पश्चिमी दिशा में सडको के समानान्तर (रोड गाडोता से मौजमाबाद) प्रतिवादीगण संख्या 1 से 3 द्वारा पुख्ता मकान बनाकर व प्रतिवादीगण संख्या 4 से 14 द्वारा बाडे बनाकर तथा इसी आराजी के उत्तरी पूर्वी कोने पर प्रतिवादी संख्या 15 द्वारा बाडा बनाकर किये गये अतिकमण जिसको नजरी नक्शा में सीमाज्ञान में लाल स्याही से दर्शाया है, को हटाकर प्रतिवादीगण संख्या 1 से 15 को बेदखल करने के आदेश प्रदान करें।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर तलबी प्रतिवादीगण जारी की गयी।

दिनांक 23/08/2011 को प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 14 की ओर से श्री के.के.लखेरा एडवोकेट ने वकालतनामा पेश किया एवं जवाब समय चाहा। दिनांक 05/10/2011 को प्रतिवादी संख्या 15 की तामिल रजिस्ट्री रसीद प्राप्त हुयी जो शामिल मिसल की गयी।

दिनांक 14/11/2011 को प्रतिवादी के अधिवक्ता द्वारा प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत आदेश 26 नियम 9 जा0 दी0 पेश किया गया जो शामिल मिसल किया गया। दिनांक 26/11/2011 जवाब प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत आदेश 26 नियम 9 जा0 दी0 पेश किया गया।

दिनांक 05/12/2011 को प्रतिवादीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत आदेश 26 नियम 9 जा0 दी0 व प्रारम्भिक आपत्ति खारिज की गयी। दिनांक 11/02/2014 प्रकरण में तनकीयात कायम की गयी।

दिनांक 28/12/2011 को पत्रावली राजस्व मण्डल अजमेर के यहां भिजवायी गयी। दिनांक 05/9/2012 पत्रावली राजस्व मण्डल अजमेर से पुनः प्राप्त हुयी।

दिनांक 05/08/2013 को प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 15 की ओर से एडवोकेट श्री लोकेन्द्र सिंह ने अण्डरटेकिंग पेश की। दिनांक 14/08/2013 को प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 15 व उसके अधिवक्ता उपस्थित नही हुये। जिससे उनके विरूद्ध कार्यवाही एकतरफा अमल में लायी गयी।

दिनांक 09/06/2014 को वादी की ओर से गवाह पी.डब्ल्यू 1 रामजीवण का शपथ-पत्र पेश हुआ, जिस परश पथ दिलवायी जाकर बयान लिये गये। प्रतिवादी संख्या 1 की ओर से श्री के.के. लखेरा एडवाकेट ने प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत आदेश 14 आदेश नियम 5 सीपीसी पेश किया। वादी अधिवक्ता जवाब पेश नही कर सीधी बहस करना जाहिर किया।

सहायक कलक्टर

Scanned by CamScanner

दिनांक 16/06/2014 को प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत आदेश 14 नियम 5 सीपीसी स्वीकार किया जाकर नवीन तनकी संख्या 7 जोडी जाने के आदेश दिये गये। दिनांक 29/09/2014 को वादी की ओर से गवाह पीडब्लयू 1 रामजीवण का शपथ-पत्र पूर्व में पेश हो चुका है, जिस पर बयान लिये गये। जिरह वकील प्रतिवादी द्वारा की गयी। वकील वादी ओर साक्ष्य पेश नही करना जाहिर किया।

दिनांक 19/03/2019 को प्रतिवादी द्वारा शपथ-पत्र पेश किया गया जो शामिल मिसल किया गया। वकील प्रतिवादी द्वारा प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत आदेश 22 नियम 9 सीपीसी व दस्तावेज किता-1 मृत्यु प्रमाण-पत्र छाया प्रति पेश की जो शामिल पत्रावली किया गया।

दिनांक 01/07/2019 को वकील वादी द्वारा प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत आदेश 22 नियम 9 सीपीसी का जवाब पेश न कर सीधी बहस करना जाहिर किया। प्रार्थना-पत्र पर बहस सुनी जाकर प्रार्थना-पत्र स्वीकार किया गया। प्रतिवादी संख्या 6, 7, 9, 11 का नाम हजफ का अंकन लाल स्याही से किये जाने के आदेश दिये गये। दिनांक 29/07/2019 को शहादत प्रतिवादी बन्द की गयी।

पत्रावली वास्ते बहस नियत की गयी।

वकील पक्षकारान की बहस सुनी

हमने विद्वान अधिवक्ता पक्षकारान की बहस का ध्यानपूर्वक मनन किया। पत्रावली का अवलोकन किया। वादी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात सत्य प्रतिलिपी नक्शा, जमाबन्दी, सीमाज्ञान आदेश एवं साक्ष्य गवाहान का अवलोकन किया। अवलोकन से प्रथम दृष्ट्या मामला वादीगण के पक्ष में पाया जाता है, चूंकि वादग्रस्त आराजी जमाबन्दी सम्वत 2065 से 2068 के खतौनी संख्या 177 के वादीगण रेकार्डेड खातेदार काश्तकार हैं। साक्ष्य गवाहान ने भी वादग्रस्त आराजीयात को वादीगण की भूमि होना बताया हैं। फर्द मौका सीमाज्ञान के अनुसार श्रीमान भू प्रबन्ध अधिकारी जयपुर के आदेश कमांक/समसंख्यक/63 दिनांक 23/05/2011 के द्वारा उक्त आराजीयात का दिनांक 23 24/05/2011 को उक्त आराजीयात का सीमाज्ञान भी किया जा चुका जिसमें स्पष्ट अंकित है कि "खसरा नम्बर 865 में सड़क के समानान्तर (गाडोता से मौजमाबाद) अतिकमण है साथ ही खसरा नम्बर के उत्तरी

सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रैक) दूदू

कोने पर अतिकमण हैं।'' इस प्रकार सीमाज्ञान आदेश से यह पाया जाता है कि वादीगण के खसरा नम्बर 865 पर प्रतिवादीगण द्वारा अवैद्य रूप से अतिक्रमण किया गया है, जो सड़क के समानान्तर (रोड गाडोता से मौजमाबाद) अतिकमण हैं। इस प्रकार प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 15 वादग्रस्त आराजी के रिकार्डेड खातेदार नही है, मात्र् कब्जा कर रखा हैं। इस प्रकार उपर्युक्त विवेचन से यह पाया जाता है कि विवादित आराजीयात के वादीगण एकमात्र रिकार्डेड खातेदार है एवं विवादित आराजीयात से प्रतिवादीगण का कोई सम्बन्ध नही है, प्रतिवादीगण विवादित आराजीयात पर मात्र् बतौर अतिक्रमी की हैसियत से काबिज है, ऐसी स्थिति में दावा वादीगण डिक्री किया जाकर विवादित आराजीयात से प्रतिवादीगण का कब्जा हटाया जाना उचित प्रतीत होता हैं।

अतः दावा डिकी किया जाकर वादग्रस्त आराजी खसरा नम्बर 865 रकबा 7.64 हैक्टेयर वाके ग्राम कडवो का बास, तहसील मौजमाबाद में सडक के समानान्तर (रोड गाडोता से मौजमाबाद) एवं उत्तरी पूर्वी कोने पर प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 15 द्वारा किये गये अवैद्य अतिक्रमण को प्रतिवादीगण स्वंय हटाकर कब्जा वादीगण को संभलाया जावें तथा प्रतिवादीगण को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि वे वादीगण के कब्जे काश्त में किसी प्रकार की बेजा मजाहमत नही करें। पर्चा डिकी जारी हो। पत्रावली फैशल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

निर्णय आज दिनांक 19/02/2019 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी किया गया।

मुद्रा

सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक)
दूदू-जयपुर

Scanned by CamScanner

राज पंचायत प्रकाशन, जयपुर फोन : 3...

डिग्री मुकद्दमा इब्तदाई

(ओ. 20 रूल 6-7 जाब्ता दीवानी)

सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक) दूदू मुकाम जिला - जयपुर
श्री राजेन्द्र सिंह शेखावत R.A.S.

...गाराम, रामचन्द्र पुत्र बाना बनाम श्रीकिशन पुत्र गंगाराम, जवाहरलाल पुत्र रामजीवन
...लाल, अमरलाल पुत्र रामजीवन ... दीगर वादिगण जेठाराम पुत्र रामजीवन, शिवराम पुत्र भगवानराम
...दूदू ... व अन्य जातिमाली - सार वि ... दूदू
(...)
मुकद्दमा नं. 261 सन 2013 तह. मौजमाबाद जिला - जयपुर

मुकद्दमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू
मिनजानिब मुद्दई रूबरू
मिनजानिब मुद्दायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिगरी दी जाती है कि

... लिया जाकर वादग्रस्त आराजी ख0नं0 865 रकबा 7.64 है0 वाके ग्राम ... बास, तह0 मौजमाबाद में सड़क के समानान्तर (रोड गाडोता से मौजमाबाद) ... पूर्वी कोने पर प्रतिवादीगण सं0 1 लगा 15 द्वारा किये गये अवैध ... प्रतिवादीगण स्वयं हटाकर रकबा वादीगण को संभलाया जावे ... प्रतिवादीगण ... स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि वे ... में किसी प्रकार से कब्जा मजाहमत नहीं करे।

... का अदा करें।

... तक

... मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 19 माह 08 सन 2019 को

... ई।

दस्तखत
ओहदा सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक) दूदू

सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक) दूदू

मुद्दई	रुपये	पैसे	मुद्दायलह	रुपये	पैसे
... अर्जी दावा			स्टाम्प अर्जी दावा		
...कालत नामा			स्टाम्प अर्जी		
...जह सबूत			महन्ताना वकील		
... वकील			खर्चा गवाहान		
...वाहान			फीस कमिश्नर		
...मिश्नर			बाबत इजराय हुक्मनामा		
...इजराय हुक्मनामा			मुतफरिक		
...रिक					
मीजान			मीजान		

... खर्चा के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरीकेन का चाहे डिगरी के जरिये दिखाया गया हो या नहीं, दर्ज करना चाहिए।

विविध
यह प्रस्ताव ... पेश हुआ ... साहब ... आदेश हो।

Scanned by CamScanner